

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :-

जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :- 37/2020

धनपत पुत्र पिरदान जाति जाट, निवासी बिशनपुरा तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।

-अपीलार्थी

-बनाम-

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना, तहसील व जिला झुंझुनू।

- रेस्पोजेन्ट्स

अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 10.07.2020 बअदालत तहसीलदार बुहाना
उनवानी मुकदमा सरकार बनाम धनपत मु0नं0 59/2020 अं0 धारा 91
एल.आर.एक्ट।

उपस्थिति:-

1. श्री राजेश पूनियां , एडवोकेट -----अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, एडवोकेट-----रेस्पोजेन्ट की ओर से ।

-निर्णय-

दिनांक 04.10.2021

उक्त अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 10.07.2020 बअदालत तहसीलदार बुहानाउनवानी मुकदमा सरकार बनाम धनपत मु0नं0 59/2020 अं0 धारा 91 एल.आर.एक्ट। तहसीलदार बुहाना के विरुद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि- अपीलांट का कथन है कि जमीन हाल खसरा नंबर 103 रकबा 0.55 हैक्टर में. गै. मु. रास्ता सरहद राजस्व ग्राम बिशनपुरा तहसील बुहाना में स्थित है। उक्त जमीन में से 66 वर्ग मीटर जमीन पर अपीलांट द्वारा तथाकथित रूप से चार दिवारी बनाकर अतिक्रमण करने पर अदालत मातहत ने निर्णय दिनांक 10.07.2020 द्वारा अपीलांट को अतिक्रमण स्थल से बेदखल करने जुर्माना के आदेश दिये गये।

अपीलांट का कथन है कि मौजूदा प्रकरण में धारा 91 एल.आर.एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते। कानून से जहां सद्भाविक कब्जा व किसम जमीन का विवाद हो, वहां अतिक्रमी को सरसरी कार्यवाही के द्वारा बेदखल नहीं किया जा सकता। प्रकरण में बाद साक्ष्य सबूत रेगुलर कार्यवाही द्वारा ही बेदखल किया जा सकता है। अपीलांट ने खसरा नंबर 103 गै.मु. रास्ता की जमीन पर कभी कोई अतिक्रमण नहीं किया। अपीलांट ने उक्त गै.मु. रास्ता की जमीन के पास चार दिवारी का निर्माण



31/10/21

किया, तब रास्ता की जमीन से ढाई मीटर जमीन छोड़कर चार दिवारी का निर्माण किया था। उक्त रास्ता से 2003 में नरेगा के तहत कार्य हो चुका है। उस वक्त भी रास्ते की जमीन पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं बताया। अदालत मातहत ने आलौच्य निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को जवाब देही व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया। अदालत मातहत के समक्ष उक्त प्रकरण में दिनांक 10.07.2020 को सुनवाई हेतु नियत थी और अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष प्रकरण में खसरा नंबर 103 गै.मु. रास्ता की नपती बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया था। अदालत मातहत ने उक्त प्रार्थना पत्र को जवाब प्रकरण मानकर आदेशिका में गलत दर्ज किया है, जब कि अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष जवाब पेश नहीं किया था। प्रकरण में खसरा नंबर 103 गै.मु. रास्ता की नपती परोपर रूप से नपती पोइंट से नहीं की गई है। अपीलांट ने जमीन खसरा नंबर 104 के उत्तर पश्चिम दिशा में चार दिवारी का निर्माण किया था। खसरा नंबर 103 की जमीन पर अपीलांट के सामने स्थित आबादी ने अतिक्रमण कर रखा है। उक्त प्रकरण में नपती पोइन्ट खसरा नंबर 130 कुआ से नपती नहीं की गई। खसरा नंबर 103 गै0 मु0 रास्ता के आस पास ग्राम बिशनपुरा की आबादी है जिसके कारण स्थानीय पटवारी व गिरदावर हल्का की टीम से सही नपती संभव नहीं है। खसरा नंबर 103 की नपती राजनैतिक प्रभाव के कारण गलत की है। खसरा नंबर 103 की नपती अदालत मातहत को भू-प्रबंध टीम से जी.पी.एस. मशीन से करवाई जानी चाहिए थी। अदालत मातहत ने आलौच्य निर्णय तर्क व निष्कर्ष सहित स्पष्ट रूप से पारित नहीं किया, इस कारण अलौच्य निर्णय खारिज होने योग्य हैं। अंत में अपील पेश कर निवेदन किया गया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.07.2020 खारिज किया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:- मौजूदा प्रकरण में धारा 91 एल.आर.एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते। कानून से जहां सद्भाविक कब्जा व किस्म जमीन का विवाद हो, वहां अतिक्रमी को सरसरी कार्यवाही के द्वारा बेदखल नहीं किया जा सकता। प्रकरण में बाद साक्ष्य सबूत रेगुलर कार्यवाही द्वारा ही बेदखल किया जा सकता है। अपीलांट ने खसरा नंबर 103 गै.मु. रास्ता की जमीन पर कभी कोई अतिक्रमण नहीं किया। अपीलांट ने उक्त गै.मु. रास्ता की जमीन के पास चार दिवारी का निर्माण किया, तब रास्ता की जमीन से ढाई मीटर जमीन छोड़कर चार दिवारी का निर्माण किया था। उक्त रास्ता से 2003 में नरेगा के तहत कार्य

2019/10/10
 न्यायालय
 बुहाना

हो चुका है। उस वक्त भी रास्ते की जमीन पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं बताया। अदालत मातहत ने आलौच्य निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को जवाब देही व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया। अदालत मातहत के समक्ष उक्त प्रकरण में दिनांक 10.07.2020 को सुनवाई हेतु नियत थी और अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष प्रकरण में खसरा नंबर 103 गै.मु. रास्ता की नपती बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया था। अदालत मातहत ने उक्त प्रार्थना पत्र को जवाब प्रकरण मानकर आदेशिका में गलत दर्ज किया है, जब कि अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष जवाब पेश नहीं किया था। प्रकरण में खसरा नंबर 103 गै.मु. रास्ता की नपती परोपर रूप से नपती पोइंट से नहीं की गई है। अपीलांट ने जमीन खसरा नंबर 104 के उत्तर पश्चिम दिशा में चार दिवारी का निर्माण किया था। खसरा नंबर 103 की जमीन पर अपीलांट के सामने स्थित आबादी ने अतिक्रमण कर रखा है। उक्त प्रकरण में नपती पोइन्ट खसरा नंबर 130 कुआ से नपती नहीं की गई। खसरा नंबर 103 गै0मु0 रास्ता के आस पास ग्राम बिशनपुरा की आबादी है जिसके कारण स्थानीय पटवारी व गिरदावर हल्का की टीम से सही नपती संभव नहीं है। खसरा नंबर 103 की नपती राजनैतिक प्रभाव के कारण गलत की है। खसरा नंबर 103 की नपती अदालत मातहत को भू-प्रबंध टीम से जी.पी.एस. मशीन से करवाई जानी चाहिए थी। अदालत मातहत ने आलौच्य निर्णय तर्क व निष्कर्ष सहित स्पष्ट रूप से पारित नहीं किया, इस कारण अलौच्य निर्णय खारिज होने योग्य हैं। अंत में अपील पेश कर निवेदन किया गया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.07.2020 खारिज किया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना अपीलांट द्वारा गै.मु. रास्ते की भूमि पर अनाधिकृत रूप से दिवार बनाकर अतिक्रमण करने के कारण अपीलांट को नोटिस जारी कर विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर बेदखली का आदेश पारित किया गया है। जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अपीलांट का कथन है कि खसरा नंबर 103 गै. मु. रास्ता की जमीन पर उसने कभी कोई अतिक्रमण नहीं किया। अपीलांट ने उक्त गै. मु. रास्ता की जमीन के पास चार दिवारी का निर्माण किया, तब रास्ता की जमीन से ढाई मीटर जमीन छोड़कर चार दिवारी का निर्माण किया था। उक्त रास्ता से 2003 में नरेगा के तहत कार्य हो चुका है। उस वक्त भी रास्ते की जमीन पर अपीलांट का कोई

गुण
कार्य

अतिक्रमण नहीं बताया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से भी जाहिर है कि अपीलांट सेटलमेंट से नपती करवाने के बाद स्वयं द्वारा अतिक्रमण हटाने का निवेदन किया गया है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार स्वयं द्वारा भी मौका देखने का निवेदन किया गया है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट में अंकित नहीं किया गया कि अपीलांट ने किस लम्बाई-चौड़ाई में रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया है, ना ही हल्का पटवारी द्वारा गैर मु० रास्ते पर किस स्थान से कहां तक अतिक्रमण किया गया है कोई नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित निर्णय में अपीलांट के जवाब के सम्बन्ध में कोई विवेचना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.07.2020 सरकार बनाम धनपत मु०नं० 59/2020 धारा 91 एल.आर.एक्ट निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार बुहाना को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि के संबंध में पक्षकारान की उपस्थिति में स्वयं मौका निरीक्षण कर, भू-प्रबंध विभाग से नपती करवायी जाकर विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रकरण पुनः दर्ज कर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत कार्यवाही करें। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फ़ैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 04.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू